

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना का योगदान: एक अध्ययन

डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)

सारांश:- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम है। यह योजना मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा; तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा की संस्थाओं में स्थापित रासेयों इकाईयों के माध्यम से चलाई जाती है। जिसका उद्देश्य समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य, प्रेरणा पुरुष, प्रतीक चिन्ह, बैज, स्वयंसेवकों के लिए आचरण संहिता, अभिवादन, दिशा निर्देश, प्रमाण पत्र योजना तथा सात दिवसीय विशेष शिविर एवं अन्य शिविर आदि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से करते हैं।

अतः प्रस्तुत शोध आलेख ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला संगठन के रूप में चार वर्षों के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों एवं विशेष शिविरों में की गई पूर्ण सहभागिता(सहभागी अवलोकन) एवं द्वितीयक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में संलग्नता(समाजीकरण) के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं।

मुख्यशब्द :- रासेयो का इतिहास, रासेयो लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्रमाण पत्र योजना एवं गतिविधियां।

प्रस्तावना :-

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। वहीं इसके लक्ष्यों में शिक्षा द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। ताकि युवा अपने आपके विकास के साथ समाज के विकास की ओर अग्रसर हो सके विद्यार्थियों में अनुशासन, समय प्रबंधन, स्वच्छता की आदत, श्रम का महत्व, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, संसाधनों का उचित प्रयोग, रचनात्मक कार्यों एवं गतिविधियों में सहभागिता,

सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता, खेल संबंधित गतिविधियों में रुचि, बौद्धिक जागरूकता, ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ नियमबद्ध दैनिक दिनचर्या का पालन करना, सामुदायिकता के महत्व को समझते हुए सामुदायिकता की भावना का विकास होना, समूह के प्रति सहयोग, राष्ट्रप्रेम, आपदा प्रबंधन एवं कौशल संवर्धन, दलित, निर्धन, वंचितों के कल्याणार्थ हेतु दलित बाहुल्य एवं आदिवासी बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिविरों का आयोजन कर अनेक रचनात्मक गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं जैसे-भाषण, निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नमंच, पेटिंग, पोस्टर, क्लेमडलिंग, कोलाज निर्माण, वीडियो मैकिंग, गीत-संगीत, नृत्य, सामूहिक नृत्य, गायन वादन, नाटक मिमिकरी आदि विविध तरह की गतिविधियों आदि के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर समुदाय में अच्छे कार्यों द्वारा अन्य युवाओं, विद्यार्थियों तथा लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा एवं जागरूकता प्रदान कर समाज एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवा के प्रति जागरूक करने का प्रयत्न होता रहा है। सन् 1950 में प्रथम शिक्षा आयोग ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा के लिए भावना के आधार पर प्रवेश के लिए संस्तुति की। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर डॉ. सी.डी. देखमुख की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य य छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य रूप से करनी थी। प्रो. के. जी. सैउद्दीन विभिन्न देशों में युवाओं की राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन कर चुके थे, उनका कहना था कि राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों के आधार पर प्रारंभ की जानी चाहिये। इसी प्रकार का सुझाव शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. कोठारी ने भी दिया।¹

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास:-

युग प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म भाताब्दी वर्ष 1969 में 24 सितम्बर का राष्ट्रीय सेवा योजना देश के 37 विश्वविद्यालय के 40000 छात्र-छात्राओं के माध्यम से प्रारंभ की गई। जिनमें मध्यप्रदेश के इंदौर एवं सागर विश्वविद्यालय के 258 छात्र-छात्राएँ सम्मिलित थे। मध्यप्रदेश के युवा विद्यार्थियों में यह योजना अत्यंत लोकप्रिय हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के 153700 से अधिक छात्र-छात्राओं को लेकर समाज सेवा माध्यम से व्यक्तित्व विकास की दिशा में अग्रसर है।²

अध्ययन के उद्देश्य :-

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र:-

प्रस्तुत भोध आलेख अनुभवाश्रित शोध की मान्यताओं पर आधारित है जिसमें वर्णात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। यह आलेख ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई में पंजीबद्ध 100 विद्यार्थियों के समूह के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों एवं विशेष शिविर में विगत चार वर्षों से कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला संगठक के रूप में सक्रीय सहभागिता(सहभागी अवलोकन) एवं द्वितीय तथ्यों के आधार पर सूचनाओं का संकलन किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य:-

राष्ट्रीय सेवा योजना का कुल मिलाकर जो उद्देश्य था, वह जैसा की मूलतः प्रकल्पित था, शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हुए समाज की सेवा करना। यह ध्येय रखा गया था कि छात्रों की सामाजिक चेतना को जाग्रत किया जाए उन्हें अवसर प्रदान किये जाये कि वे शैक्षणिक परिसरों के आस-पास के लोगों के साथ मिलकर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य कर सकें तथा जो वे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे समाजोन्मुख करके ठोस सामाजिक उपयोग में ला सकें। यह महसूस किया गया है कि योजना का प्रारंभिक उद्देश्य यह है कि छात्र समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें इसलिए योजना का लक्ष्य जैसे कि दोहराया गया है। "समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास" लक्ष्य की प्राप्ति में छात्र तभी सफल हो सकेगे जबकि वे³ -

1. जिस समाज में काम करते हैं उसे समझ सकें,
2. अपने आपको संबंधित समाज के संदर्भ में समझने में समर्थ हो सकें,
3. समाज की आवश्यकताओं का उन्हें ज्ञान हो, उनकी कठनाईयां वे समझ सकें जिनके समाधान में वे सक्रीय हो सकते हैं,
4. अपने में सामाजिक एवं नागरिक दायित्व बोध की भावना का विकास कर सकें,
5. अपनी शिक्षा का उपयोग वे व्यक्ति तथा समाज की कठिनाइयों के व्यवहारिक हल में ढूढने में कर सकें,
6. समूह में रहने के लिए और दायित्वों में सहभागी बनाने के लिए जिस क्षमता की आवश्यकता है, उसका अपने में विकास कर सकें,
7. समाज की सहभागिता को गतिमान करने में निपुणता प्राप्ति कर सकें,
8. नेतृत्व के गुणों को धारण कर सकें और प्रजातांत्रिक अभिवृत्ति वाले बन सकें,
9. आपातकाल और दैवी आपदाओं का सामना करने की क्षमता का विकास कर सकें और
10. राष्ट्रीय एकता को क्रियात्मक रूप दे सकें।

राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य:-

शिक्षा द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा के द्वारा शिक्षा।

सिद्धांत वाक्य:-

राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य(मोटो) मैं नहीं आप (नाहं वै भवान, Not me but you) यह सिद्धांत वाक्य वासुधैव कुटुम्बकम् का सर बताता है, निः स्वार्थ सेवा की आवश्यकता का समर्थन करता है कि हम दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करने वाले बने तथा प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति रखें। इस तरह यह एक सर्वधर्म सम्भाव राष्ट्र से युक्त (प्रजातांत्रिक) समाज निर्माण का लक्ष्य प्रस्तुत करता है।

प्रेरणा पुरुष:-

मानव सेवा एवं युवा चेतना के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रेरणा पुरुष मान्य किया गया है। स्वामी विवेकानंद को वर्ष 1884-85 अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के अंतर्गत भारत सरकार ने युवाओं का प्रतीक पुरुष मान्य किया तबसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना में उन्हें अपने प्रतीक पुरुष के रूप में मान्य किया गया।

प्रतीक चिन्ह:-

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के रथ के चक्र पर आधारित है। सूर्य मंदिर के ये विशाल चक्र सृजन संरक्षण और निमुक्ति के आवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं तथा काल और स्थान से परे जीवन के महत्व को बताते हैं।

रा. से. यो. का बैज:-

रा.से.यो. का बैज मूलतः प्रतीक चिन्ह पर आधारित है। जिसमें विभिन्न रंगों का समावेश कर बैज बनाया गया है। सूर्य मंदिर के रथ में 24 पहिये हैं प्रत्येक पहिये में 8 तीलियां हैं जो 8 प्रहर दर्शाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस बैज को धारण करता है उसे यह बैज याद दिलाता है कि वह राष्ट्र सेवा के लिए दिन रात अर्थात् 24 घण्टे (आठो प्रहर) तत्पर रहे। बैज में जो लाल रंग है वह इस बात का संकेत करता है कि रासेयो के स्वयं सेवकों में पूरा उत्साह है और वे जीवन्त हैं, सक्रिय हैं और उनमें स्फूर्ति है। गहरा नीला रंग उसे ब्रह्माण्ड की ओर संकेत करता है जिसका रासेयो एक छोटा सा अंश है और जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए अपना अंशदान करने तैयार है।

रासेयो स्वयं सेवकों के लिए आचरण संहिता:-

1. सभी रासेयो स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये दलनायक के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
2. दल/समुदाय के नेतृत्व के लिए वे सहयोग एवं विश्वास के पात्र बनेंगे
3. उन्हें हर स्थिति में आसामाजिक एवं अस्वच्छ कार्य-कलापों दूर रहना चाहिए।
4. वे अपनी दैनन्दिन गतिविधियों/ अनुभवों को रासेयो डायरी में संलग्न पृष्ठों पर अभिलेखित करेंगे और समय-समय पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रत्येक स्वयं सेवक को एन. एस. एस. कार्य के समय एन. एस. एस. बैज धारण करना चाहिए।

अभिवादन:-

एन. एस. एस. के सदस्य परस्पर अभिवादन हेतु (में) "जय हिन्द" का घोष करते हैं।

दिशा निर्देश:-

एक शैक्षणिक वर्ष में जो 120 घण्टे का सेवा कार्य प्रत्येक स्वयं सेवक से अपेक्षित है, उसमें से प्रथम वर्ष में 20 घण्टे निम्नानुसार दिशा निर्देश कार्यक्रम पर उपयोग में लाये जाते हैं:-

सामान्य दिशा निर्देश-02 घण्टे, विभिन्न दिशा निर्देश-08 घण्टे, कार्यक्रम की दक्षता का ज्ञान-10 घण्टे, कुल योग 20 घण्टे

प्रमाण-पत्र योजना-

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित एवं विशेष शिविर गतिविधियों के लिए सुझाए गए 8 कार्यक्षेत्रों को ही इस पाठ्यक्रम का आधार बनाया गया है। प्रमाण-पत्रों की श्रेणीबद्धता विभिन्न स्तर से विद्यार्थियों की क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर की गयी है। प्रत्येक प्रमाण-पत्र के पाठ्यक्रम में चयनात्मक गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह से कम से कम एक गतिविधि स्वयंसेवक की इच्छानुसार चयन की जाएगी, ताकि विद्यार्थी का बहुविध विकास हो सके। यह ध्यान में रखने की बात है कि एक प्रमाण-पत्र के लिए किया गया गतिविधियों का चयन अगले प्रमाण-पत्र में यथासंभव न किया जाए।

यद्यपि 'ए' एवं 'बी' श्रेणी के प्रमाण-पत्र के लिए कुल 6 क्षेत्रों से गतिविधियाँ चयन की जाएंगी, तथापि जन साक्षरता में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को यह छूट होगी कि वे चयनात्मक समूहों में से तीन गतिविधियों का ही चयन करें।

भाग-1 'ए' प्रमाण पत्र

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (+2) में दो वर्षों में (240 घण्टे) 'ए' प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम-

अनिवार्य गतिविधियाँ

1. **अभिमुखीकरण-** एन.एस.एस. का उद्देश्य और दर्शन कम से कम 4 प्रेरणा गीत, जो समय-समय पर राज्य स्तरीय शिविरों में प्रसारित किये गये हों, का भी चयन किया जा सकता है, जैसे- 'हम होंगे कामयाब', 'आओ जवान आओ', 'बदलेंगे तस्वीर गाँव की', 'नौजवान आओ रे', 'करें राष्ट्र निर्माण बनाएँ मिट्टी से अब सोना', 'नवयुग का संदेश', 'उठे समाज के लिए उठें', 'गूँजे गगन में', 'आओ जिंदगी को उन्नति दे' आदि।
2. **ड्रिल. पी.टी. योग एवं खेल-** साधारण ड्रिल सावधान, विश्राम, दांये मुड़, बाएँ मुड़, दाँये धूम, बायें धूम। तेज चल, सलामी, लाइन तोड़, कम से कम 5 देशी खेल, सम्पूर्ण शरीर के व्यायाम के लिए कुछ पी.टी. तथा योगासन/प्राणायाम, योगासन, ताड़आसन, अर्धकटि चक्र आसन, त्रिकोण आसन, बज्रआसन, गोमुखआसन, भावासन इत्यादि। प्राणायाम- अनुलोग-विलोम, भ्रामरी।

चयनात्मक गतिविधियाँ:-

1. **पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, वृक्षारोपण-**
 - दो वर्षों में कम से कम 20 पौधे। प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम 2 पौधों की सुरक्षा/अभिग्रहण देखभाल करेगा।
 - सोखता गड्ढों, खाद के गड्ढों का निर्माण, सड़क और पुलियों का जीर्णोद्धार/मरम्मत/निर्माण करना तथा क्षेत्रीय लोगों को इस कार्य में सहयोगी बनाना/प्रेरित करना।
 - संस्था/गोद लिए ग्राम/झुग्गी बस्ती में नालियों, मार्गों की सफाई अभियान
 2. **शिक्षा-**
 - प्रत्येक स्वयंसेवक दो वर्षों में जन साक्षरता के माध्यम से कम से कम 2 निरक्षरों को साक्षर करेगा या विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करेगा अथवा निचली कक्षाओं के छात्रों को अध्ययन में मदद करेगा। प्रत्येक स्वयंसेवक रासेयो गतिविधियों में कम से कम एक गैर रासेयो विद्यार्थी को जोड़ेगा।
 - जन साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े स्वयंसेवक नव साक्षर/प्रतिभागियों की कम से कम दो बैठकें(सभाएँ) आयोजित करेंगे। सामाजिक विषयों पर सामूदायिक चेतना के लिए रैलियों का आयोजन। परिशिष्ट अनुसार रासेयो दिवस/युवा सप्ताह का आयोजन।
 3. **स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं पोष्टिक आहार-**

स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्राथमिक उपचार। मरीजों की मदद। पोष्टिक आहार कार्यक्रम एवं पेयजल परियोजनाओं में सहायता, तालाब/झील/कुँओं की सफाई एवं खुदाई, जल शुद्धिकरण कार्यक्रम हेतु प्रेरणा का कार्य करना।
 4. **आर्थिक विकास के लिए विविध उत्पादोन्मुखी कार्यक्रम-**
 - वैज्ञानिक तरीकों से अन्न भण्डारण, खरपतवार पर नियंत्रण, कृषि यंत्रों के रख-रखाव एवं प्रशिक्षण में मदद, हेंडपम्प का रख-रखाव।
 - चूहों एवं कीटों पर नियंत्रण एवं कीटनाशक औषधियों का प्रयोग।
 - जन सहयोग से संस्था प्रांगण या समुदाय में स्थायी अस्तियों का निर्माण जैसे- साईकिल स्टैण्ड, मंच, पेशाब घर, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि।
- भू-रक्षण एवं मिट्टी परीक्षण-** नमूने एकत्रित कर वैज्ञानिक विश्लेषण। मिट्टी का उपचार कार्य। (इस हेतु विशेषज्ञों को स्थानीय स्तर पर बुलाया जाए।)

5. समाज सेवा कार्य-

झुग्गीवासियों के लिए कार्य विभिन्न कार्यों के लिए सर्वेक्षण। वयोवृद्ध, विकलांगों एवं निराश्रितों को मदद। राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक उत्थान संबंधी चित्रों/वस्तुओं की प्रदर्शनी सहायता, बचाव तथा पुनर्निर्माण कार्यों में शासकीय अधिकारियों की मदद। विपदाग्रस्त लोगों के लिए आवा"यक सामग्री का संकलन तथा दी जाने वाली सामग्री के वितरण में सहायक।

6. अन्य गतिविधियाँ-

क्षेत्र की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन।

ग्राम व झुग्गी बस्तियों का अभिग्रहण

सेवा कार्य की निरंतरता, मूल्यांकन तथा अनवर्ती कार्य की गति बनाये रखने के लिए प्रत्येक रासेयो इकाई ग्राम झुग्गी बस्ती को अभिग्रहण करती है। यह कार्य स्थानीय विकास अधिकारियों से विचार-विमर्श करके किया जा सकता है यथापि ऐसा कोई भी क्षेत्र जो विद्यार्थियों की सुविधा जनक पहुँच के भीतर (महाविद्यालय/विद्यालय/संस्था से 8 किलोमीटर के भीतर) ही चुना जाता है।

भाग- 2 'बी' प्रमाण पत्र

(+3) विद्यालयोत्तर प्रथम वर्ष रासेयो स्वयंसेवकों के लिए 120 घण्टों का पाठ्यक्रम।

अनिवार्य गतिविधियाँ

1. अभिमुखीकरण-

शैक्षणिक कार्यक्रम- जन शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।

आर्थिक विकास संबंधी योजनाएं यथा-

आई. आर. डी. पी. ट्रायसेम, एन. आर. ई. पी. आदि। प्राथमिक चिकित्सा, रेडक्रॉस, रक्तदान, नेत्रदान एवं एड्स के विशय में जागरूकता। नेतृत्व प्रशिक्षण, युवा मण्डल, महिला मण्डल अदि। वन प्राणी संरक्षण। नागरिक बोध, यातायात बोध। प्रासंगिक और तात्कालिक सामाजिक समस्याएं। सामूदायिक गीत कम से कम चार प्रेरणास्पद युवा गीत।

2. उन्नत झिल, पी.टी. योग एवं खेल-

साधारण झिल का अभ्यास, कमाण्ड, परेड का संचालन, फाइल फॉर्मेशन, मार्चिंग, सलामी आदि। पी.टी. योग,

साधन रहित देशी खेल जैसे— कितने भाई कितने, जाल-मछली, लीडर पकड़, ऐसे-कैसे, रुमाल झपट्टा आदि।

चयनात्मक गतिविधियाँ

1. पर्यावरण समृद्धि एवं संरक्षण— वृक्षारोपण एवं सुरक्षा।
2. शिक्षा— निरक्षर, नवसाक्षर लोगों तथा शालात्यागी बच्चों के लिए क्रमशः जनकार्यात्मक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा जैसे कार्यक्रमों में सक्रियता। समिति द्वारा संचालित रासेयो बुक बैंक के लिए अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रहण।

ग्राम/झुग्गी-झोंपड़ी/गोद ली गई भाला में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित करना। सामुदायिक चेतना के लिए रैलियों एवं परिशिष्ट के अनुसार दिवस/सप्ताह का आयोजन।

3. स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं पोषण आहार—
 - स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण।
 - रक्तदान एवं तत्संबंधी शिविर।
 - नशाखोरी के विरुद्ध अभियान।
 - नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविरों में सहायता।
 - कुष्ठ रोग के विरुद्ध अभियान तथा कुष्ठ रोगियों की सेवा।

(इस कार्य हेतु स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सहायता प्राप्त की जाए।)

4. आर्थिक विकास के लिए विविध उत्पादनोंमुखी कार्यक्रम—

आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी. ट्रायसेम, बैंक-ऋण के लाभ के परीक्षण हेतु सर्वेक्षण। चूहा एवं कीट नियंत्रण और उर्वरकों का प्रयोग। भू-क्षरण रोकने में सहायता, मिट्टी परीक्षण तथा उपचार। सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने में सहयोग। अल्प बचत अभियान में प्रत्येक स्वयं सेवक कम से कम 4 खाते खुलवायेगा।

5. समाज सेवा के लिए कार्य—

युवक मण्डल एवं महिला मण्डलों के गठन में सहयोग। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता एवं बचाव कार्य में अधिकारियों की मदद। सामाजिक बुराइयों तथा बालविवाह, दहेजप्रथा, अत्यधिक खर्चिलेपन के निवारण के लिए समूह बैठकों एवं परिचर्चाओं का आयोजन। सामूहिक विवाहों के लिए जागरूकता पैदा करना। वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार-प्रसार, भारतीयता का गौरव,

जनतांत्रिक व सर्वधर्म समभाव मूल्य, भारतीय संस्कृति एवं धरोहरों के संरक्षण के कार्य।

6. अन्य गतिविधियाँ—

क्षेत्र की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन।

'सी' प्रमाण-पत्र

अनिवार्य गतिविधियाँ—

1. अभिमुखीकरण (अभिविन्यास)— 'ए' और 'बी' प्रमाण-पत्र के लिए कार्यरत स्वयंसेवकों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में (स्वयं की या अन्य संस्थाओं) निर्धारित विषयों पर कम से कम 20 घण्टों की सक्रिय भागीदारी।
2. ड्रिल, पी.टी.योग और खेल— परेड संचालन, योग, पी. टी. और देशी खेलों का (रासेयो स्वयं सेवकों के लिए) संचालन।
3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट—स्वयं किये गये कार्य की सामाजिक प्रासंगिकता से सम्बन्धित विषय पर 20-30 टंकित पृष्ठों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट विश्व विद्यालय को प्रस्तुत करना।
4. कार्यक्रम संयोजन—7 दिवसीय रासेयो शिविर के आयोजन और इकाई की गतिविधियों में कार्यक्रम अधिकारी की सहायता।

चयनात्मक गतिविधियाँ—

1. पर्यावरण समृद्धि एवं संरक्षण— सोख्ता/खाद के गड्डों, बायोगैस/ऊर्जा, संयंत्रों का प्रदर्शन। वृक्षारोपण कार्य का प्रदर्शन फल, वन एवं पथ वृक्षों के बारे में पर्याप्त जानकारी अपेक्षित 'ए' और 'बी' प्रमाण-पत्र वाले रासेयो स्वयंसेवकों द्वारा संचित वृक्षों/पौधों की रक्षा एवं उसका हिसाब (वन क्षेत्र में रोपित पौधों को छोड़कर) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का सक्रिय प्रदर्शन। वन्य जीवन संरक्षण—जागरूकता अभियान में भागीदारी।
2. शिक्षा—
 - क्रियात्मक जन शिक्षा एवं अन्य साक्षरता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी तथा पर्यवेक्षण।
 - रासेयो बुक बैंक को समृद्ध करना तथा संग्रहण द्वारा कम से कम दो पुस्तकों का योगदान, जरूरतमन्द छात्रों को पुस्तक प्रदाय में मदद।
 - प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन एवं सहायता।
 - संस्था द्वारा गोष्ठियों भित्तिचित्र, नाटक माँक पार्लियामेंट, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन।
 - सामुदायिक चेतना के लिए रैलियों का आयोजन एवं परिशिष्ट के अनुसार दिवस/सप्ताह का आयोजन।

3. स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण एवं पोषण आहार—

- स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन। रक्तदान शिविरों का आयोजन/ भागीदारी।
- एड्स एवं कुष्ठरोग विरोधी अभियान एवं कुष्ठरोगियों की सेवा। नशा विरोधी अभियान चलाना और वातावरण तैयार करना।

4. आर्थिक विकास के लिए विविध उत्पादोन्मुखी कार्यक्रम—

आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी., ट्रायसेम, मूलक तथा विकासात्मक कार्यों के लिए सर्वेक्षणों में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों/संदर्भ व्यक्तियों के व्याख्यानों का आयोजन करना। सहकारिता की उन्नति और मजबूती के लिए कार्य। स्वसहायता समूहों के गठन एवं संचालन में सहयोग। अल्प बचत योजना का प्रचार-प्रसार (प्रत्येक स्वयं सेवी कम से कम 5 खाते खुलवायेगा।)

5. समाज सेवा के अन्य कार्य—

- कम से कम एक महिला मण्डल/के निर्माण में सहायता।
- संस्था परिसर का सफाई अभियान।
- आपदा-प्रबंधन (डिजिस्टर मैनेजमेंट) संबंधी गतिविधियों एवं बचाव कार्यों में आवश्यकतानुसार मदद।
- भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय धरोहर/स्मारक का अनुरक्षण।
- पंचायती राज के बारे में जागरूकता।

6. जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्य में सक्रिय भागीदारों एवं प्रेरणा का कार्य करना।

7. अन्य गतिविधियाँ—

क्षेत्र की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों का आयोजन।⁴

तथ्यों का विश्लेषण:—

राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों के सर्वगीण विकास में सहायक ऐसा नियंत्रित कार्यक्रम है जिसकी गतिविधियों का उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाला समता, समानता, बन्धुत्व एवं भाईचारे का निर्माण कर राष्ट्रप्रेम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं युवाओं में खोजपूर्ण प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सहायक होता है। विद्यार्थी में नैतिकता की भावना का विकास होता है। वह अपने समुदाय के महत्व को समझना प्रारंभ करता है तथा अपने समुदायिक दायित्वों के निर्वाह हेतु सदैव तत्पर रहता है। वह विभिन्न परिस्थितियों प्राकृतिक आपदाओं

संकट एवं महामारियों में अपने नागरिक होने के पूर्ण दायित्व का निर्वाह स्वेच्छा से करता है।

प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेवा योजना वालेन्टियर आवश्यक रूप से राष्ट्र, समाज, संस्था, ग्राम एवं परिवार के लिए एक उपयोगी क्रियाशील मानवीय पूंजी के रूप में निर्मित होता है। जो राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न शिविरों में संलग्नता एवं प्रशिक्षण से प्राप्त आवश्यक गुण न केवल उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अपितु समाज एवं राष्ट्र को एक उपयोगी व प्रशिक्षित मानवीय पूंजी उपलब्ध कराते हैं।

निष्कर्ष:—

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है की राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक नियोजित कार्यक्रम है। जिसका प्रारंभ से ही उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संचालित विविध प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ जिनके माध्य से विद्यार्थियों का अभिमुखिकरण, पी. टी. ड्रिल योग एवं खेल से संबंधित गतिविधियों पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं पौष्टिक आहार, आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रम सेवा के कार्यों एवं अन्य कार्यों में विद्यार्थियों की सहभागिता से उनमें अनिवार्यतः गुणों का विकास होता है। अतः राष्ट्रीय सेवा योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

सुझाव:—

1. विभिन्न शैक्षणिक शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में क्रियाशील रासेयो इकाईयों के संचालन का दायित्व सक्रीय कार्यक्रम अधिकारियों को सौंपना चाहिए जिनकी रुची हो।
2. माता-पिता अभिभावकों को अपने बच्चों को रासेयो गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।
3. युवाओं को अध्ययन के साथ-साथ व्यक्तित्व निर्माण हेतु रासेयो का वालेन्टियर बनने की पहल करना चाहिए।
4. प्रशिक्षित ABC प्रमाण-पत्र धारी वालेन्टियर अन्य विद्यार्थियों को रासेयो वालेन्टियर बनने की प्रेरणा प्रदान करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वयं सेवा दैनन्दिनी, भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित उपक्रम, भाग्योदय प्रकाशन, मथुरा (उ.प्र.) पृ.स. 03
2. राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, मार्गदर्शिका 03 से 09 जनवरी 2020, ग्राम झोतेश्वर तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, आयोजन-मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग राज्य स्तर रासेयों (प्रकोष्ठ) भोपाल (म.प्र.) पृ.स. 8
3. राष्ट्रीय सेवा योजना संहिता (1987) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेल विभाग नई दिल्ली, पृ. स. 9,10
4. राष्ट्रीय सेवा योजना, स्वयं सेवक दैनन्दिनी, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, भाग्योदय प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स, मथुरा (उ.प्र.) पृ. सं. 6 से 19